न्यायालय जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री नमित मेहता, आई.ए.एस.

राजस्व अपील : 24/2022

जी.सी.एम.एस. : 2022/175

अपीलाण्ट :–

1. डगरी देवी पुत्री श्री हरिया पत्नी श्री मोहनलाल, जाति गुर्जर, निवासी बालेलाव, हाल गांव सुरायता, मालपुरियांकलां चौपड़ा, सोजत तहसील सोजत जिला पाली (राज.)
2. मिश्री देवी पूत्री श्री हरिया पत्नी श्री मोहनलाल, जाति गुर्जर, निवासी गुर्जरों का बास, चौपड़ा, सोजत तहसील सोजत, जिला पाली

बनाम

रेस्पोडेण्ट :–

1. रतनाराम पुत्र श्री हरिया, जाति गुर्जर, निवासी गांव बालेलाव, तहसील पाली जिला पाली (राज.)
2. राधा देवी पुत्री श्री हरिया पत्नी गोकुल, जाति गुर्जर, निवासी गांव बालेलाव, तहसील पाली जिला पाली (राज.)
3. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी, तहसीलदार, पाली

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष ओझा

रेस्पो.संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री मुरली मनोहर बेड़ा

–: निर्णय :–

दिनांकः– 10-10-2022

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील उनके अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार पाली द्वारा ग्राम बालेलाव के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 121 दिनांक 12.06.1981 के विरूद्ध पेश की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अपील अपीलांट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट्स व रेस्पो सं. 01 व 02 सगे भाई बहन है जो हरिया के विधिक वारिशान है। अपीलाण्ट्स व रेस्पो सं. 01 एवं 02 के पिता हरिया की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम बालेलाव, तहसील पाली, जिला पाली में खसरा संख्या 75/1 रकबा 14.16 बीघा, खसरा संख्या 75/2 रकबा 21.7 बीघा, खसरा संख्या 75/3 रकबा 11.16 बीघा, खसरा संख्या 75/4 रकबा 32.11 बीघा, खसरा संख्या 75/5 रकबा 5.01 बीघा, खसरा संख्या 78 रकबा 2 बीघा, खसरा संख्या 194 रकबा 18.05 बीघा, खसरा संख्या 281 रकबा 82 बीघा, खसरा संख्या 488 रकबा 13.04 बीघा, खसरा संख्या 143 रकबा 0.01 बिस्वा कृषि भूमि आयी हुई है। इस प्रकार कुल 10 खसरान कुल रकबा 210 बीघा कृपि भूमि है। उक्त खसरान की भूमि में अपीलाण्ट के पिता हरिया का 1/2 हिस्सा था तथा उक्त कृषि भूमि पर अपीलाण्ट पिता कब्जाकाश्त थे। अतः जैर अपील खारिजे काबिल है। अपीलाण्ट के पिता हरिया की वर्ष 1980 में देहान्त हो गया था। तत्पश्चात उक्त सम्पूर्ण भूमि का फौतेदगी म्यूटेशन हल्का पटवारी द्वारा जांच किये बिना तथा अपनी मनमर्जी से रेस्पों संख्या 01 व अपीलाण्ट की माता रूपी बेवा हरिया के नाम समस्त खसरान की कृषि भूमि दर्ज कर दी, जबकि उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि में

जिला कलेक्टर, पाली

अपीलाण्ट व रेस्पो. सं. 02 का कोई विधिक वारिशान होने से हक व अधिकार व हिस्सा था, परन्तु पटवारी द्वारा अपूर्ण जानकारी के आधार पर अपीलाण्ट का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं किया गया तथा जैर अपील नामान्तरकरण में अपनी मनमर्जी से दर्ज कर दिया जिससे अपीलाण्ट व रेस्पों संख्या 02 उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि से अपने हक अधिकार व हिस्से से वंचित रह गये। सम्पूर्ण जैर आराजी में अपीलाण्ट्स व रेस्पो. सं. 01 व 02 का बराबर हक व हिस्सा निहीत है, जो कि अपीलाण्ट व रेस्पो. स्व. हरिया के विधिक वारिशान है। रूपी देवी का देहान्त आज से तीन वर्ष पूर्व हो चुका है। रूपी देवी के देहान्त आज से तीन वर्ष पूर्व हो चुका है। रूपी देवी के देहान्त के बाद रेस्पो. सं. 01 ने उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि का नामान्तरकरण अपने नाम चुपचाप दर्ज करवा दिया, जो कि विधिसंगत नहीं है। जैर अपील नामान्तरकरण आदेश की पुष्टि करने से पूर्व व आदेश पारित करने से पूर्व किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की गई, न ही अपीलाण्ट को किसी प्रकार की सूचना दी गई तथा रेस्पो सं. 01 के नाम नामान्तरकरण गलत व असत्य तथ्य पर किया जबकि हरिया के विधिक वारिशान अपीलाण्ट संख्या 01 व 02 व रेस्पो संख्या 01 व 02 है, जिससे कि जैर अपील नामान्तरकरण काबिले खारिज है। अतः जैर अपील नामान्तरकरण काबिले खारिज है। अतः अपील अपीलाण्ट अन्दर म्याद शुमार फरमाई जाकर जैर अपील नामान्तरकरण निरस्त करने का आदेश प्रदान करावे।

वकील रेस्पो. संख्या 01 ने अपनी बहस के दौरान बताया कि अपील में नियमानुसार कार्यवाही की जाती है तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यान–पूर्वक अवलोकन किया गया। अपील में वर्णित नामान्तरकरण संख्या 121 दिनांक 12.06.1981 में हरिया पिता पूनम फौत होने पर स्वीकृत हुआ जिसमें लगभग 41 वर्ष बाद अपील पेश हुई है तथा अपील के संलग्न प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। पत्रावली के संलग्न राजस्व अभिलेख अनुसार फौतेदगी नामान्तरकरण स्वीकृति पश्चात काफी भूमि अन्य खातेदारों को बेचान हो चुकी है। ऐसी स्थिति में अब इतने वर्ष पश्चात सदभाविक खरीददार के अधिकारों को प्रभावित करना न्यायोचित प्रतित नही होता है।

अपीलाण्ट द्वारा इतने विलम्ब से न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के कोई ठोस कारण भी नही दर्शाये है। परन्तु अभी भी हरिया पुत्र पुनम के फौत होने से अपीलाण्ट को प्रभावित खसरान् में भाई रतनाराम के नाम विरासतन दर्ज कुछ भूमि अभी भी रेस्पोडेण्ट संख्या 01 रतना पुत्र हरिया के नाम चल रही है जिसमें अपीलाण्ट का भी हक अधिकार निहित है।

परिणास्वरूप अपील अपीलाण्ट के संलग्न धारा 05 म्याद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को म्याद शुमार करते हुए अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाकर तहसीलदार, पाली को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि जैर आराजी नामान्तरकरण में वर्णित अन्य खातेदारों को बेचानशुदा भूमि को प्रभावित नही करते हुए केवल रेस्पोडेण्ट संख्या 01 (अपीलाण्ट के भाई रतनाराम)के नाम वर्तमान में शेष भूमि की सीमा तक नामान्तरकरण को निरस्त करते हुए निर्देश दिए जाते है कि जमाबंदी में वर्णित खातेदारान को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से मृतक हरिया के वारिसों की उचित जांच कर नियमानुसार नामान्तरकरण स्वीकृत करने की कार्यवाही करे।

निर्णय आज दिनांक 10-10-2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलक्टर, पाली